आपदा प्रबंधन हेतु आवश्यक पूर्व तैयारी

आपदा पूर्व तैयारी से आशय है किसी आपदा अथवा घटना के पूर्व लिये गये निर्णय एवं कार्य, जिससे आपदा के प्रभाव में कमी की जा सके। इसके अन्तर्गत पूर्व सूचना, रोकथाम, शमन इत्यादि शामिल है, जिससे आपदा हेतु, संवेदनशील व्यक्तियों, प्रभावित होने वाली आबादी को न्यूनतम क्षति हो, तथा आपदा के समय वे प्रभावी तरीके से आपदा का सामना कर सके।

आपदा तैयारी एक निरन्तर एवं समेकित प्रक्रिया है, इसके अन्तर्गत अनेक प्रकार की गतिविधियों एवं संसाधनों को शामिल किया जाता है। आपदा तैयारी में विभिन्न क्षेत्रों, विभागों की सक्रिय सहभागिता की आवश्यकता होती है। एक विस्तृत आधार पर जिला मंदसौर में आपदा पूर्व तैयारी अन्तर्गत निम्नलिखित विषयों को शामिल किया गया है।

1. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन एवं क्रियाशीलता।
2. जिला एवं समुदाय स्तर पर आपदा अनुक्रिया हेतु क्षमता को बढ़ाना।
3. चेतावनी तन्त्र प्रक्रिया का विकास एवं निरन्तर जॉच। आपदा प्रबंधन सम्बंधी स्थानीय कार्य योजना का विकास करना, जिससे मानव एवं भौतिक क्षति को न्यूनतम किया जा सके।
4. अनुक्रिया हेतु टीमों का गठन एवं अनुक्रिया कार्य में शामिल होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण।
5. सम्भावित खतरों का चिन्हींकरण/वर्गीकरण।
6. सम्भावित खतरों से संवेदनशील जनसंख्या/परिवारों का चिन्हींकरण।
7. संवेदनशील क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों तथा समुदाय को जागरूक/गतिशील/एवं प्रशिक्षित करना।
8. उपलब्ध स्थानीय क्षमता/संसाधनों की पहचान, चिन्हींकरण एवं सूची करण।

9. प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक चिकित्सा, समाज कल्याण सम्बन्धित गतिविधियों का संचालन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।
10. समुदाय आधारित आपदा प्रबन्धन कार्य योजना का प्रोत्साहन एवं विकास।
11. आपदा सहायता नम्बर की स्थापना।
12. पंचायत एवं स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों का अभिमुखीकरण एवं प्रशिक्षण।
13. आपात क्रिया केन्द्र की स्थापना एवं क्रियान्वयन।
14. जिला एवं तहसील स्तरीय अधिकारियों का प्रशिक्षण।
15. जिला आपदा प्रबंधन कार्य योजना में आवश्यकतानुरूप संशोधन एवं सुधार।
16. विभिन्न खतरों से सम्बंधित अवास्तविक अभ्यासों का आयोजन एवं संचालन।
17. प्रभावी अनुक्रिया हेतु मानक संगठनात्मक व्यवस्था एवं क्रियान्वयन योजना तैयार करना।

1 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन एवं क्रियाशीलता

आपदा प्रबन्धन कानून 2005 के अनुसार जिले में आपदाओं के प्रभावी शमन एवं अनुक्रिया हेतु एक जिला स्तरीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन किया जाना चाहिए। यह प्राधिकरण जिले में आपदाओ के शमन, अनुक्रिया तथा समस्त गतिविधियो हेतु प्रमुख रूप में उत्तरदायी होगी। जिला मंदसौर में आपदा प्रबन्धन कानून 2005 के अनुरूप जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन किया गया जा चुका है। (विस्तृत विवरण अध्याय–3 में वर्णित है।)

किसी भी आपदा के समय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण आपदा शमन, अनुक्रिया तथा पूर्व तैयारी हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगी। समिति अपने कार्यों के सुचारू संचालन समयबद्धता एवं गुणवत्ता को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक

समितियों/उप समितियों के गठन हेतु स्वतन्त्र होगी। जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण जिले में आपदा पूर्व तैयारी, अनुक्रिया एवं शमन हेतु एक प्रमुख संस्था होगी तथा प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रबन्धन हेतु लिये जाने वाले समस्त निर्णय सम्बन्धित विभागों/व्यक्तियों पर बाध्यकारी होंगे।

2 जिला एवं समुदाय स्तर पर प्रभावी अनुक्रिया हेतु क्षमता का विकास

किसी भी आपदा का प्रभावी तरीके से सामना तभी किया जा सकता है जबकि प्रभावित होने वाले परिवारों/समुदायों की क्षमतावृद्धि की जाये। उपरोक्त तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए मंदसौर जिले में आपदाओं का प्रभावी तरीके से सामना करने के लिए समुदाय की क्षमतावृद्धि हेतु कार्य योजना विकसित एवं लागू की जायेगी।

3 चेतावनी तन्त्र प्रक्रिया का विकास एवं निरन्तर जॉच

किसी भी आपदा के समय चेतावनी तंत्र प्रक्रिया का प्रभावी उपयोग करते हुए आपदा से होने वाले नुकसानों को अत्यन्त न्यून किया जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए जिला मंदसौर में चिहिन्त खतरों के विषय में पूर्व सूचना हेतु प्रभावी तंत्र की स्थापना, विकास एवं निरन्तर जॉच हेतु आवश्यक कार्य योजना विकसित एवं लागू की जायेगी।

4 अनुक्रिया हेतु टीमों का गठन एवं अनुक्रिया कार्य में शामिल होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण

किसी भी आपदा के समय प्रभावी अनुक्रिया को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के दलों का होना अति आवश्यक है। मंदसौर जिले में आयोजित जिला परामर्श कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर तथा अन्य जिलास्तरीय अधिकारियों से चर्चा तथा मंदसौर जिले में उपलब्ध मानव संसाधन को दृष्टिगत रखते हुए कुल दस प्रकार के दलों का गठन किया गया है। विस्तृत विवरण हेतु देखें अध्याय 6।

5 संभावित खतरों का चिन्हिकरण/वर्गीकरण

किसी भी आपदा के समय न्यूनतम क्षति उस स्थिति मे हो सकती है जबकि जिले में आने वाली आपदाओं/खतरों के विषय में प्रशासन एवं आम समुदाय अवगत हो। उपरोक्त को दृष्टिगत रखते जिला मंदसौर में जिला स्तरीय परामर्श के माध्यम से प्रमुख खतरों तथा उन खतरों से संवेदनशील क्षेत्रों/जनसंख्या का चिन्हिकरण किया गया है। इस गतिविधि को तहसील स्तर पर और प्रभावी तरीके से किया जायेगा। समस्त तहसीलों के संवेदनशील क्षेत्रों का मानचित्र तैयार किया जायेगा तथा तैयार मानचित्रों के माध्यम से प्रभावित होने वाले परिवारों/समुदाय को विभिन्न संचार के साधनों से समय–समय पर जानकारी प्रदत्त की जायेगी।

6 संभावित खतरों से संवेदनशील जनसंख्या/परिवारों का चिन्हिकरण

जिला मंदसौर में चिन्हित खतरों से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले परिवारों का तहसीलवार चिन्हीकरण किया जायेगा। इस कार्य को प्रभावी तरीके से पूर्ण करने के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा एक कार्य योजना विकसित एवं क्रियान्वित किया जायेगा।

7 संवेदनशील क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों का सशक्तीकरण

जिला मंदसौर में चिहिन्त्त विभिन्न खतरों से प्रभावित होने वाले परिवारों का चिन्हीकरण एवं सूचीकरण का कार्य किया जायेगा। किसी भी आपदा अथवा आपदा स्थिति में सर्वाधिक प्रभावित परिवारों को न्यूनतम क्षति हो इसको ध्यान में रखतें हुए सशक्तिकरण कार्यक्रमों का नियोजन एवं क्रियान्वयन जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा लागू किया जायेगा। प्रभावित होने वाले परिवारों का जानकारी/जागरूकता/प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमतावृद्धि एवं सशक्तिकरण का

कार्य किया जायेगा। इसके तहत जिला स्तर पर एक कार्य योजना विकसित एवं लागू की जायेगी।

8 संसाधन सूची का निर्माण

किसी भी आपदा से बचाव तथा उसके प्रभाव को कम करने हेतु आपदा पूर्व आवश्यक तैयारी की जाना अति आवश्यक है, तथा किसी भी आपात स्थिति एवं आपदा के समय प्रभावी अनुक्रिया तभी संभव हो सकती है जब जिले में आपदा के समय उपयोग किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के संसाधनों का विवरण उपलब्ध हो। जिससे किसी भी आपात स्थिति में उपलब्ध विवरण/सूची में से आवश्यकता के अनुरूप संसाधनो का उपयोग करते हुए प्रभावी अनुक्रिया की जा सके। जिले में उपलब्ध संसाधनों की सूची तहसीलवार तैयार की जायेगी तथा संसाधनो में निम्नलिखित को आवश्यक रूप से शामिल किया जायेगा।

1. मानव संसाधन

   अ) प्रशिक्षित

   ब) अप्रशिक्षित

2. आश्रय स्थल क्षमता सहित

3. उपकरण – विवरण सहित

4. आपदा कन्ट्रोल रूम

   अ) जिला आपदा प्रबंधन कक्ष

   ब) तहसील आपदा प्रबंधन कक्ष

1. **मानव संसाधन** : प्रभावी अनुक्रिया को ध्यान में रखते हुए विकास खण्ड में कार्यरत समस्त विभागो के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सूची, फोन नम्बर

तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को तहसील स्तरीय आपदा प्रबन्धन कक्ष में आवश्यक रूप से रखा जायेगा। इन उपलब्ध मानव संसाधनों का उपयोग आपदा तैयारी तथा अनुक्रिया दोनो में प्रभावी रूप से किया जायेगा।

2. **आश्रय स्थल क्षमता सहितः** जिला/तहसीलवार आश्रय स्थलो का चिन्हींकरण आवश्यक रूप से पूर्व में ही किया जायेगा। जिन स्थलो को किसी भी आपदा के समय आश्रय स्थल के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ये स्थल सरकारी अथवा गैर सरकारी दोनो प्रकार के हो सकते है। बेहतर सम्प्रेषण को ध्यान में रखते हुए इन स्थलो का नजरी नक्शा भी तैयार किया जायेगा। जिसमें आश्रय स्थल से सम्बन्धित विभिन्न महत्वपूर्ण तथ्यों सूचनाओं जैसे आश्रय स्थल का आकार, समाहित किये जाने वाले प्रभावित लोगो की संख्या पहुंच मार्ग, पानी की उपलब्धता इत्यादि का ऑकलन भी आवश्यक रूप से किया जायेगा।

3. **उपकरण** : किसी भी आपदा के समय प्रभावी अनुक्रिया तभी संभव हो सकती है जब आवश्यक उपकरण उपलब्ध हो। तहसील स्तर पर उपलब्ध विभिन्न संसाधनो का विवरण आवश्यक रूप से तैयार किया जायेगा। इस सूची में उपकरण का प्रकार संख्या तथा स्थिति को स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जायेगा।

9. प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक चिकित्सा, खोज एवं बचाव विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन

जिला मंदसौर में चिन्हित खतरों के प्रति संवेदनशील जनसंख्या/परिवारों के सशक्तिकरण एवं किसी आपदा स्थिति में होने वाली क्षति को न्यूनतम करने के लिए विभिन्न विषयों जिनका उपयोग आपदा के समय किया जा सकता है, में कौशल वृद्धि हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं जागरूकता शिविरों का आयोजन जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नियोजित एवं क्रियान्वित किया जायेगा।

10. समुदाय आधारित आपदा प्रबन्धन कार्य योजना का प्रोत्साहित एवं विकास

विगत कई आपदाओं के विश्लेषण से स्पष्ट है कि किसी भी आपदा के समय प्रभावित परिवारो/समूहों की समयबद्ध सहायता से अत्याधिक परिवारों तथा सम्पत्ति को बचाया जा सकता है तथा साथ ही साथ किसी भी आपदा के समय स्थानीय निवासियों द्वारा ही प्रथम बचाव कार्य प्रारंभ किया जाता है। अतः यह स्पष्ट है कि आपदा प्रबन्धन ''तैयारी तथा अनुक्रिया'' में स्थानीय जन सहभागिता के बिना प्रभावी आपदा प्रबन्धन कर पाना संभव नहीं है।

10.1 ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति

जिला मंदसौर में प्रत्येक गॉव में आपदा प्रबन्धन समिति का गठन किया जायेगा। आपदा प्रबन्धन हेतु ग्राम स्तर पर मुख्य रूप से यह समिति उत्तरदायी होगी। इस समिति का गठन स्थानीय स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संगठन के प्रतिनिधियों, युवक मंगल दल के सदस्यों, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों तथा ग्राम स्तर पर कार्यरत सरकारी/गैर सरकारी विभागों को शामिल कर किया जायेगा। ग्राम पंचायत का सरपंच इस समिति का अध्यक्ष होगा तथा ग्राम पंचायत भवन के एक कक्ष में ग्राम आपदा प्रबन्धन कक्ष भी स्थापित किया जायेगा। ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति के सदस्यों की संख्या ग्राम की जनसंख्या/आवश्यकता के अनुरूप रखी जायेगी।

10.2 पूर्व आपदाओं का विश्लेषण

प्रत्येक ग्राम सभा में पूर्व में घटित विभिन्न आपदाओं का विश्लेषण तथा इनसे होने वाले नुकसानों एवं बचाव हेतु किये गये प्रयासों को सूचीबद्ध किया जायेगा। इस कार्य में ग्रामस्तर पर उपलब्ध बुजुर्गो की मदद ली जायेगी। ग्रामस्तर पर आपदा प्रबन्धन का यही आधार होगा, तथा इसी आधार पर ग्राम आपदा प्रबन्धन की कार्य योजना तैयार की जायेगी।

10.3 मौसमी आपदा कलेण्डर

जिला मंदसौर में प्रत्येक ग्राम पंचायत में पूर्व में घटित आपदाओं के विश्लेषण तथा आवृत्ति को ध्यान में रखते हुए ग्राम स्तरीय आपदा कलेण्डर का विकास किया जायेगा। इस कार्य में स्थानीय लोगो की मदद ली जायेगी। तैयार मौसमी आपदा कलेण्डर ग्राम पंचायत भवन/ग्राम आपदा प्रबन्धन कक्ष में लोगों के अवलोकन एवं सुझाव हेतु उपलब्ध रहेगा।

10.4 मानचित्र एवं नक्शा निरूपण

जिला मंदसौर में विद्यमान विभिन्न खतरों को ध्यान में रखते हुए ग्रामस्तर पर एक नक्शा तैयार किया जायेगा। इस नक्शे में विभिन्न खतरों, संवेदनशील क्षेत्रों, संसाधनो को दर्शाया जायेगा। यह नक्शा किसी स्केल पर नहीं बनाया जायेगा बल्कि इसे स्थानीय जनसमुदाय को ग्रामस्तर पर विद्यमान खतरो के विषय में जागरूक एवं गतिशील करने के उद्देश्य से बनाया जायेगा। यह नक्शा ग्राम पंचायत भवन में स्थानीय लोगो के अवलोकन एवं सुझाव हेतु उपलब्ध रहेगा।

(क) संसाधन मानचित्र

ग्रामस्तर पर उपलब्ध संसाधनों जैसे सामुदायिक भवन, खाली स्थल, पंचायत भवन, स्कूल, ऑगनबाड़ी केन्द्र इत्यादि को दर्शाया जायेगा। यह नक्शा ग्राम पंचायत भवन में स्थानीय लोगो के अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेगा।

(ख) जोखिम मानचित्र

इसके अन्तर्गत ग्रामस्तर पर उलपब्ध विभिन्न जोखिमों को नक्शा के माध्यम से प्रदर्शित किया जायेगा। जैसे बाढ़ के समय मुख्य डूब क्षेत्र, प्रभावित होने वाली आबादी इत्यादि को दर्शाया जायेगा। यह जोखिम मानचित्र भी लोगो के अवलोकनार्थ ग्राम पंचायत भवन में उपलब्ध रहेगा

10.5 ग्राम आपदा प्रबन्धन दल

यह सर्वविदित है कि किसी भी आपदा के समय सर्वप्रथम बचाव कार्य स्थानीय लोगो द्वारा ही प्रारंभ किया जाता है उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए जिला मंदसौर में ग्रामस्तर पर विभिन्न दलो का गठन किया जायेगा। जिनका विवरण निम्नवत है –

उपरोक्त दलों में ग्रामस्तर पर उत्साही नौजवानों, महिलाओं, बच्चो इत्यादि को शामिल किया जायेगा। दल के सदस्यों के ज्ञान, क्षमता, कौशल को ध्यान में रखते हुए आवश्यक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जायेगा। किसी भी आपदा का प्रबन्धन एकल

प्रयास द्वारा संभव नहीं है अतः आपदा प्रबन्धन को ग्राम पंचायत के एजेंडे में शामिल करते हुए ग्राम पंचायत स्तर पर विकास संबंधित बैठकों में आपदा प्रबन्धन को भी एक एजेण्डा के रूप में शामिल किया जायेगा।

10.6 अवास्तविक अभ्यास :

ग्राम स्तर पर तैयार आपदा कलेण्डर के अनुरूप अवास्तविक अभ्यासों का संयोजन भी ग्रामस्तर पर किया जायेगा।

10.7 सामुदायिक आपदा कोष :

किसी भी आपदा के समय जिला प्रशासन एवं बाहरी संस्थाओं द्वारा राहत पहुंचाने में एक निश्चित समय लगता है इसे ध्यान में रखते हुए प्रत्येक ग्राम में एक सामुदायिक आपदा कोष का गठन किया जायेगा। इसके अन्तर्गत स्थानीय जनसमुदाय से प्राप्त विभिन्न सहायता धनराशि एवं खाद्यय सामग्री शामिल है। इस सामुदायिक आपदा कोष का रखरखाव/नियंत्रण ग्राम आपदा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा किया जायेगा।

10.8 जन–जागरूकता :

ग्रामस्तर पर चिन्हित विभिन्न खतरों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय जनसमुदाय को जागरूक एवं गतिशील करने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा समय–समय पर जन जागरूकता कार्यक्रमों का अयोजन जिला प्रशासन के सहयोग से किया जायेगा। इनके कार्यक्रमों में विभिन्न खतरों से बचाव हेत पूर्व तैयारियॉ तथा खतरों के दौरान ''क्या करें क्या न करें'' संबंधी विषयों को शामिल किया जायेगा।

11. आपदा सहायता नम्बर की स्थापना

विभिन्न आपदाओं के प्रभावी शमन, अनुक्रिया के दृष्टिगत जिले स्तर पर एक आपदा दूरभाष नम्बर आबंटित किया जायेगा, यह नम्बर दिन रात 24 घण्टे एवं 7 दिन कार्य करेगा। किसी भी प्रकार की दुर्घटना की सूचना इस नम्बर पर प्रदान की जा सकती हैं यह नम्बर निःशुल्क होगा, तथा इस नम्बर के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक प्रचार प्रसार भी किया जायेगा।

12. पंचायत एवं स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों का अभिमुखीकरण एवं प्रशिक्षण

जिला मंदसौर में आपदा प्रबन्धन की तैयारी एवं प्रभावी अनुक्रिया को ध्यान में रखते हुए समस्त जिला पंचायत सदस्यों तथा अन्य सभी पदाधिकारियों को आपदा प्रबंधन के विषय में विस्तृत जानकारी एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

आपदा प्रबन्धन को जिला पंचायत की बैठक के ऐजेण्डा में शामिल किया जायेगा। जिससे प्रत्येक बैठक के दौरान आपदा प्रबन्धन तैयारी के विषय में भी प्रभावी चर्चा की जा सके।

जिला पंचायत द्वारा कराये जाने वाले सभी विकासात्मक कार्य को आपदा शमन को ध्यान में रखते हुए किये जायेंगे।

13 आपात किया केंद्र की स्थापना एवं कियान्वयन

मंदसौर जिला मुख्यालय में एक आपात क्रिया केन्द्र की स्थापना की जाएगी। यह राजस्व कन्ट्रोल रूम के अलावा व्यवस्था होगी। यह केन्द्र 24 घण्टे सेवा को तत्पर होगा समुचित मानव शक्ति एवं अत्याधुनिक उपकरणों से परिपूर्ण होगा। इस केन्द्र में उपलब्ध उपकरणों का उपयोग केवल आपदा प्रबन्धन हेतु किया जाएगा। इस जिला ई0ओ0सी0 में प्रत्येक आपदा सहयोग कार्य (ई0एस0एफ0) के लिए स्थायी एवं

पृथक व्यवस्था होगी। यहॉ संचार के सभी साधन (फोन, ई–मेंल, वायरलेस आदि) आधुनिकतम होंगे। केवल नोडल अधिकारी ही यहॉ बैठेंगे और आपदा प्रबंधन सम्बन्धी कार्य करेंगे।

13.1 सामान्य काल में आपात क्रिया केन्द्र के कार्य :

जिला मंदसौर का कलेक्टर किसी प्रशासनिक अधिकारी को आपात क्रिया केन्द्र का प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर सकता है। सामान्य काल में आपात क्रिया केन्द्र के कार्य निम्न प्रकार होंगे।

1. सुनिश्चित करना कि के सभी आपात क्रिया केन्द्र उपकरण सही प्रकार से कार्य करने की स्थिति में है।
2. आपदा प्रबंधन के लिए सहयोगी विभागो से नियमित रूप से आंकड़ो का एकत्रण करना।
3. जिले में पूर्व तैयारी एवं शमन क्रियाओं की स्थिति रिपोर्ट तैयार करना।
4. सुनिश्चित करना कि जिला आपदा प्रबंधन योजना को ठीक प्रकार से लागू किया गया है।
5. नियमित अपडेट द्वारा डाटा बैंक का रखरखाव।
6. आपदा की सूचना/या आपदा स्थिति उत्पन्न होने पर ''ट्रिगर मेकेनिज्म'' को क्रियाशील करना।

13.2 आपदा काल में आपात क्रिया केन्द्र के कार्य :

जैसे ही किसी आपदा के घटित होने अथवा उसकी संभावना होने पर जानकारी प्राप्त हो, तुरन्त सभी विभागो एवं सामान्य जनता को समय पर सूचना देना अति आवश्यक होता है। अतः आपात क्रिया केन्द्र की सर्वप्रथम जिम्मेंदारी सही तथा समय

पर पूर्वसूचना एवं चेतावनी देना होगा। इस उद्देश्य हेतु आपात क्रिया केन्द्र का सूचना तंत्र बहुत मजबूत एवं आधुनिक होना चाहिए। पूर्व सूचना निम्नांकित को भी आवश्यक रूप से दी जाए : –

1. डी0डी0एम0ए0 सदस्यो को,
2. सभी ''आपदा सहयोगी दलों को,
3. अस्पतालों एवं स्वास्थ्य विभाग को,
4. संभागीय कमिश्नरों कार्यालय को
5. राज्य के राहत आयुक्त को,
6. पड़ोसी जिलों के आपात क्रिया केन्द्रो को
7. राष्ट्र स्तरीय/राज्य स्तरीय आपात क्रिया केन्द्रो को,
8. जिले के जन प्रतिनिधियों को,

आपदा काल में बेहतर संयोजन एवं सहयोग के लिए ''आपदा सहयोगी दलों के लिए डेस्कों का इंतजाम आपात क्रिया केन्द्र को करना चाहिए। राज्य ई0ओ0सी0, जिला ई0ओ0सी0 एवं ई0ओ0सी0 के बीच लगातार संचार कायम रहना अति आवश्यक है।

13.3 आपदा स्थल पर आपात क्रिया केन्द्र के कार्य :

घटना स्थल पर ई0ओ0सी0, जिला ई0ओ0सी0 के सहयोगी के रूप में कार्य करेगा, चूंकि यह आपदा स्थल के समीपस्थ बनाया जाता है। राहत, खोज एवं बचाव आदि तत्कालीन कार्यो को यहीं से किया जायेगा।

घटना स्थल ई0ओ0सी0 से संबंधित एस0डी0एम0 इस स्तर का मुख्य अधिकारी होगा जो सभी प्रकार के संयोजन, राहत एवं बचाव संबंधी प्रक्रियाओं और सूचना प्रसारण के लिए उत्तरदायी होगा।

घटना स्थल ई0ओ0सी0 केवल आपदाकाल में ही क्रियाशील होगें, परन्तु इनके संदर्भ में प्रत्येक संदर्भित अधिकारी द्वारा एक आधारभूत कार्ययोजना का प्रारूप पहले से ही तैयार रखना होगा।

घटना स्थल प्रभारी अधिकारी/एस0डी0एम0 को आपदा स्थल पर सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का नियंत्रण व निर्देशन करना होगा साथ ही साथ संबंधित जिला ई0ओ0सी0 से प्राप्त निर्देशों का भी पालन करना होगा।

14. जिला/तहसील स्तरीय अधिकारियों का प्रशिक्षण

किसी भी आपदा के समय जिला एवं तहसील स्तरीय अधिकारियों द्वारा बेहतर अनुक्रिया तभी संभव है जब उन अधिकारियों को आपदा के विषय में आधारभूत जानकारी/प्रशिक्षण प्राप्त हो। उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए मंदसौर में जिले तथा तहसील में कार्यरत समस्त अधिकारियों का एक दो दिवसीय प्रशिक्षण एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा। इस अभिमुखीकरण कार्यक्रम में भाग लेने वाले अधिकारियों का प्रशिक्षण एवं अभिमुखीकरण निम्न प्रकार से आयोजित किया जायेगा।

1	जिले स्तरीय अधिकारियों का अभिमुखीकरण एवं प्रशिक्षण	जिले के समस्त प्रमुख विभागो को शामिल करते हुए	आपदा प्रबन्ध संस्थान भोपाल द्वारा वर्ष में एक बार
2.	तहसील स्तरीय अधिकारियों का अभिमुखीकरण एवं प्रशिक्षण	तहसील के समस्त महत्वपूर्ण विभागो को शामिल करते हुए	डी0एम0आई0 भोपाल द्वारा प्रशिक्षित अधिकारियों द्वारा

15. जिला आपदा प्रबंधन कार्य योजना में आवश्यकतानुरूप संशोधन एवं सुधार

किसी भी आपदा के समय प्रभावी अनुक्रिया तभी संभव हो सकती है जब कि आपदा से संबंधित विकसित कार्य योजना में निरन्तर सुधार किया जाता रहे उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह भी निश्चित किया गया है कि कार्य योजना में निरंतर सुधार हेतु मंदसौर में जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर वर्ष में दो बार बैठक आयोजित की जायेगी। प्रथम बैठक माह मई में तथा द्वितीय बैठक अक्टूबर–नवम्बर में आयोजित की जायेगी। इन बैठकों में जिले के समस्त महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारियों द्वारा भागीदारी की जायेगी। प्रथम बैठक जो माह मई में आयोजित की जायेगी उसमें आपदा प्रबन्धन योजना में वांछित परिवर्तन को शामिल किया जायेगा तथा साथ ही साथ विगत वर्ष के कार्यों, अनुभवों, कमियों इत्यादि पर चर्चा की जायेगी, तथा प्राप्त सुझावों के अनुरूप जिले की आपदा प्रबन्धन कार्य योजना में आवश्यक एवं वांछित परिवर्तन किया जायेगा। इसी प्रकार द्वितीय बैठक जो माह नवम्बर में आयोजित की जायेगी उसमें भी यही प्रक्रिया अपनायी जायेगीी।

उपरोक्त दोनों बैठकों की अध्यक्षता कलेक्टर (अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण मंदसौर) द्वारा किया जायेगा तथा प्राधिकरण के अन्य सदस्य तथा जिले के सभी महत्वपूर्ण विभागों द्वारा इस बैठक में भागीदारी की जायेगी।

प्रत्येक वर्ष किसी भी आपदा के दौरान की गई अनुक्रिया तथा आवश्यक तैयारी की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जायेगी तथा यह विस्तृत रिपोर्ट जिला आपदा प्रबन्धन कार्य योजना में आवश्यक रूप से प्रति वर्ष संलग्न की जायेगी।

16. अवास्तविक अभ्यासों का आयोजन एवं संचालन

किसी भी आपात स्थिति /आपदा के समय जिले/तहसील स्तर पर गठित विभिन्न दल अपने कार्यों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित कर सके इस हेतु दलों के कार्यों का प्रभावी क्रियान्वयन ध्यान में रखते हुए, समय–समय पर अवास्तविक अभ्यास आयोजित किये जायेंगे। ये अवास्तविक अभ्यास जिले में चिन्हित/विद्यमान खतरों

को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया जायेगा। अवास्तविक अभ्यास वर्ष में कम से कम दो बार आवश्यक रूप से आयोजित किये जायेंगे। अवास्तविक अभ्यासों की मानीटरिंग हेतु जिले तथा राज्य से पर्यवेक्षको को बुलाया जायेगा तथा प्रत्येक अवास्तविक अभ्यास के बाद मानीटरिंग दलों के सुझाव को शामिल करते हुए कार्य योजना में आवश्यक संशोधन किया जायेगा। कार्य प्रकृति के अनुरूप गठित दलों द्वारा किसी भी आपदा के समय प्रभावी अनुक्रिया को ध्यान में रखते हुए आवश्यक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जायेगा।

17. जिला स्तर पर कार्यरत विभिन्न विभागों हेतु मानक संगठनात्मक व्यवस्था एवं किये जाने वाले प्रमुख कार्य एवं क्रियान्वयन योजना।

मंदसौर जिले मे कार्यरत विभिन्न जिलास्तरीय विभागों द्वारा चिन्हित खतरों के पूर्व तैयारी, प्रभावी शमन एवं अनुक्रिया हेतु किये जाने वाले प्रमुख कार्यों का विस्तृत विवरण निम्नवत है–

स्वास्थ्य विभागः

निवारक गतिविधियॉ

- जिले, तहसील एवं ब्लाक स्तर पर किये जाने वाले प्रमुख कार्यों/तैयारी की समीक्षा।
- महामारी तथा अन्य खतरों के लिये संवेदनशील क्षेत्रों का चिन्हीकरण।
- परीक्षण प्रयोगशालाओं हेतु उपयुक्त स्थलों का चिन्हीकरण।
- गैर–सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के साथ तालमेल एवं सूचीकरण।
- बीमारी निगरानी पद्धति का सशक्तीकरण क्षेत्र से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिला केन्द्र पर निरन्तर सूचनओं का साप्ताहिक आदान–प्रदान।

- किसी आपात स्थिति में दैनिक सूचनओं का आदान–प्रदान एवं विश्लेषण।
- प्रशिक्षण कार्मिको, परीक्षण सुविधा तथा आपात चिकित्सा हेतु सुसज्जित मोबाईल चिकित्सा यूनिटों की स्थापना।
- सम्भावित आपदा स्थलों पर आपात चिकित्सा कैम्पों के स्थापना हेतु स्थलों का चिन्हीकरण।
- विभिन्न संक्रांमक बीमारियों से बचाव हेतु आवश्यक प्रचार–प्रसार/जागरूकता।
- प्रशिक्षण एवं (आई0ई0सी0) सूचना शिक्षण संचार।
- क्षेत्र स्तर पर कार्यरत पारम्परिक दाईयों, स्वयं सेवी संगठनों, सामुदायिक नेतृत्व, स्वयंसेवी तथा अन्य आधार भूत संगठनों के लिए प्राथमिक चिकित्सा विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन, जिससे किसी भी आपदा अथवा आपदा उपरान्त महामारी को फैलने से रोका जा सके।
- सभी अस्पतालों में वैकल्पिक जनरेटर की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- उपलब्ध साधनों जीप/कार/वैन इत्यादि की सूची निर्माण तथा किसी भी आपदा के समय उपयोग किये जाने वाले वाहनों की यथेचित मरम्मत करवाना।

आपदा के पूर्व आवश्यक तैयारी

- आई0ई0सी0 संसाधनों का निर्माण एवं वितरण।
- ओ0आर0एस0 तथा अन्य जीवन रक्षक दवाईयों का वितरण।
- बाढ़ तथा लू के दौरान किये जाने वाले प्रभावी उपचार हेतु कर्मचारियों का आवश्यक/प्रभावी प्रशिक्षण।
- आवश्यक दवाओं का ऑकलन एवं संगृहण, जिनका उपयोग सर्प काटने, पानी साफ करने की क्लोरीन की गोली, ब्लीचिंग पाउडर।
- संवेदनशील एवं रणनीतिक स्थलों पर मोबाईल यूनिटों की पूर्व तैयारी।

अनुक्रिया के दौरान

- संवेदनशील स्थलों पर जीवन रक्षक एवं अन्य महत्वपूर्ण दवाईयों की व्यवस्था करना।
- दवा अपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था का सृदृढ़ीकणर।
- चिन्हित संवेदनशील स्थलों/आपदा स्थलों पर अनुक्रिया कार्य का अवलोकन एवं सशक्तीकरण।
- आपदा स्थलों पर पर्याप्त कर्मचारी/डाक्टरों की उपस्थिती सुनिश्चित करना।
- बचाव कार्य एवं प्रक्रिया का निरन्तर पुनरीक्षण तथा कार्य में लगे डाक्टरों/अन्य स्टॉफ का निरन्तर पुनरीक्षण।
- स्वच्छता हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिशचित करना।
- विभिन्न स्तर के आपदाओं के दौरान होने वाली मौतों के विषय में प्रशासन/परिवार की सहमति से पोस्टमार्टम कार्य सुनिश्चित करना।
- पीने के पानी तथा श्रोतों का शृद्धिकरण।
- संक्रांमक बीमारियों से बचाव हेतु टीकाकरण करवाना।
- सूचनाओं के प्रभावी आदान–प्रदान हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करना।

पुनः प्राप्ति हेतु गतिविधियॉ

- बीमारियों के व्यापकता पर निरन्तर मानीटरिंग।
- निरन्तर चिकित्सा एवं स्थिति नियन्त्रण तक गतिविधियों के निरन्तर संचालन हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- सदमा/आघात काउन्सलिंग
- चिकित्सा एवं घायलों/विकलांगों के समाजिक चिकित्सकीय पुर्नवास हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करना।

- आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/विकलांगों के पुर्नवास हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करना।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

निवारक गतिविधियॉ

- सभी निवासियों/समुदायों/बस्तियों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- नाली/नालों की साफ–सफाई सुनिश्चित करना, विशेषकर नगरों में

आपदाओं से बचाव हेतु आवश्यक तैयारी

- पानी के संग्रहण एवं वितरण हेतु पर्याप्त मात्रा में पानी के टेंकरों की व्यवस्था पूर्व में ही सुनिश्चित करना।
- वैकल्पिक व्यवस्था अन्तर्गत जनरेटरों की व्यवस्था पूर्व में ही सुनिश्चित करना।
- राहत स्थल के रूप में उपयोग किये जाने वाले स्थलों तथा आपदाओं हेतु संभावित एवं संवेदनशील स्थलों हेतु पानी तथा क्लोरीन की गोलियों का आवश्यक संग्रहण।
- ट्यूबवेलों के प्लेटफार्मो का उच्चीकरण, अन्य संरचनात्मक, स्वच्छता हेतु बनाये गये संरचनाओं का विकास जिससे अगले आपदा के समय नुकसान को कम से कम किया जा सके।

अनुक्रिया गतिविधियॉ

- जल स्त्रोतों का शुद्धीकरण तथा लगातार निगरानी।
- अस्पतालों एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- आपात स्थिति में पानी वितरण हेतु टेंकरों तथा अन्य संसाधनों की व्यवस्था।

- ट्यूबवेल तथा अन्य पानी के स्त्रोतों को चालू करने के लिए आपात सहायता उपकरण की व्यवस्था तथा वितरण।
- क्षतिग्रस्त पानी के स्त्रोतें हेतु आपात निर्माण की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- समुदाय द्वारा हेण्ड पम्पों को विषाणु रहित करने हेतु आवश्यक जानकारी तथा सामग्री उपलब्ध कराना।

पुनःप्राप्ति हेतु गतिविधियॉ

- संरचनाओं का मजबूतीकरण, पुनःमुल्यांकन तथा दस्तावेजीकरण।
- प्राप्त अनुभवों तथा सीख का आदान–प्रदान।
- कर्मचारियों का प्रशिक्षण।
- चेकलिस्ट तथा आकस्मिकता कार्य योजना का निर्माण

पुलिस विभाग

निवारक गतिविधियॉ

- खोज एवं बचाव, स्थल खाली करना तथा अन्य आपात गतिविधियों हेतु फोर्स को निरन्तर तैयार रखना तथा समय/समय पर अवास्तविक अभ्यास कराते रहना।
- आधुनिक उपकरणों की प्राप्ति तथा तैनाती, वर्तमान उपकरणों का आधुनिकरण तथा आधुनिक उपकरणों के बेहतर उपयोग हेतु प्रशिक्षण तथा अवास्तविक अभ्यासों का आयोजन किया जाये।
- त्वरित कार्य बल का चक्रीय आधार पर पोस्टिंग जिससे वे स्वस्थ एवं फिट रहे।

- सुनिश्चित करें कि संचार के सभी उपकरण वायरलेस निरन्तर कार्य करते रहे तथा संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त वायरलेस की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
- जिला प्रशासन एवं आपदा अधिकारी के साथ आवश्यक तालमेल।

अनुक्रिया गतिविधियॉ

- अस्थायी राहत शिविरों तथा रास्ते में राहत सामग्री की सुरक्षा हेतु आवयक प्रबन्ध करना।
- जिला आपदा प्रबन्धन कक्ष में किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की तैनाती करना।
- संवेदनशील तट बन्धों तथा अन्य जोखिम स्थलों की सुरक्षा हेतु पुलिस बल की तैनाती।
- सुरक्षा हेतु आवश्यक व्यवस्था।
- खोज बचाव तथा स्थल खाली कराने में जिला प्रशासन की आवश्यक सहायता।
- आपात यातायात प्रबन्धन।
- प्रभावित क्षेत्रों में नियम कानून का कड़ाई से अनुपालन।
- कालाबाजारी/जमाखोरी के विरूद्ध कार्यवाही में जिला प्रशासन की आवश्यक मद्द।

नागरिक सुरक्षा

निवारक गतिविधियॉ

- प्रथम चिकित्सा, खोज एवं बचाव स्थल खाली करना इत्यादि पर प्रशिक्षण का आयोजन करना।
- जिले के प्रमुख त्यौहारों/स्थलों में मेला इत्यादि के समय प्रथम चिकित्सा, खोज एवं बचाव तथा स्थल खाली कराने हेतु आवश्यक कार्य योजना विकसित करना।

- उपरोक्त कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निरन्तर अभ्यास तथा अवास्तविक अभ्यास का आयोजन करना।

अनुक्रिया गतिविधियॉ

- जनसमुदाय तथा अन्य संगठनों को खोज एवं बचाव प्रथम चिकित्सा इत्यादि पर आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
- राहत वितरण में एक सहयोगी संस्था के रूप में कार्य करना।
- आपात स्थिति में प्रथम चिकित्सा तथा उपचार हेतु आवश्यक व्यवस्था करना।
- चिकित्सकीय दल के समन्वय तथा सहयोगी के रूप में कार्य करना।
- यातायात व्यवस्था/कानून व्यवस्था प्रबंधन मे पुलिस विभाग की आवश्यक मद्द करना।

अग्निशमन सेवायें

निवारक गतिविधियॉ

- अग्निशमन सुरक्षा हेतु बनाये गये कानूनों का कड़ाई से पालन हेतु आवश्यक कार्यवाही करना।
- अग्निशमन हेतु उपलब्ध संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण तथा आधुनिक उपकरणों की प्राप्ति करना।
- अग्नि हेतु संवेदनशील उद्योगों, क्षेत्रों का चिन्हीकरण करना। महत्वपूर्ण आयोजन जिनके दौरान आग की घटना हो सकती है का चिन्हीकरण। लोगों को सुरक्षा उपाय के प्रति जागरूक एवं गतिशील करना। अग्नि दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण, अवास्तविक अभ्यास के माध्यम से आवश्यक तैयारी करना।
- आग से निवारण/बचाव हेतु उपलब्ध विभिन्न पद्धतियों के विषय में लोगों को जागरूक एवं गतिशील करना।

- किसी आपात स्थिति में घटना के प्रबन्ध हेतु स्थानीय जनसमुदाय को प्रशिक्षित करना।
- अग्निरोधी तकनीकों के विषय में अभिमान्यताओं तथा राज मिस्त्रियों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना।
- भवन का नक्शा बिना पर्याप्त अग्नि सुरक्षा उपायों के स्वीकृत न किया जाये।

अनुक्रिया गतिविधियॉ

- आग में फसे व्यक्तियों, क्षतिग्रस्त भवनों, क्षतिग्रस्त वाहनों, ट्रेन, हवाई जहाज, उद्योगों, बायलर, सुरक्षा तथा अन्य स्थानों पर फसे व्यक्तियों का बचाव करना।
- आग का उचित नियन्त्रण करना तथा विस्फोट की स्थिति में नुकसान को कम से कम करना।
- गैस रिसाव, तथा खतरनाक तत्वों के गिर जाने, बह जाने की स्थिति में नियन्त्रण करना।
- आपात स्थिति में कार्यरत अन्य संस्थाओं की आवश्यक सहायता करना।
- आग के कारणों की छानबीन तथा नुकसान ऑकलन कार्य में आवश्यक सहयोग करना।

जनवितरण

निवारक गतिविधियॉ

- विशेष संवेदनशील स्थलों पर गोदाम निर्माण एवं मरम्मत करना।
- आपदा स्थिति का ध्यान रखते हुए आवश्यक सामग्री का संग्रहण करना।

- भण्डार किये गये आवश्यक सामग्री खराब न हो इस हेतु आवश्यक उपाय सुनिश्चित करना।

अनुक्रिया गतिविधियॉ

- प्राप्त संसाधनों/सामग्री का उपयुक्त रख–रखाव।
- सामग्री प्रेषण हेतु आवश्यक प्रबंध करना।
- संसाधन सूची का निर्माण एवं प्रबन्धन।

पुनः प्राप्ति गतिविधियॉ

प्राप्त एवं सुरक्षित रखे गये सामग्रियों का समय–समय पर अन्य स्कीमों में उपयोग करते रहना। अन्यथा बहुत सी संचित सामग्री खराब हो सकती है। इसका कड़ाई से अनुपालन एवं जॉच हेतु आवश्यक कार्य योजना तैयार करना।

लोक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग

निवारक गतिविधियॉ

- जिले में उपलब्ध सरकारी एवं गैर–सरकारी संसाधनों जैसे सड़क साफ करने का वाहन, डोजर, डम्फर इत्यादि की सूची बनाना तथा आपात स्थिती में उपयोग की कार्य योजना विकसित करना।
- समय–समय पर जिले के प्रमुख सडकों/पुल तथा जन सामान्य सुविधाओं का निरीक्षण तथा मरम्म्त करना।

अनुक्रिया गतिविधियॉ

- सड़क सफाई तथा अन्य सड़कों से सम्पर्क स्थापित करना, टूटी सड़कों का मरम्मत करना, पुलों की मरम्मत करना तथा शीघ्रातिशीघ्र यातायात व्यवस्था को बहाल करना।

- अवरूद्ध सड़कों पर साफ–सफाई हेतु समुदाय से मद्द प्राप्त करना।
- बड़े वाहन जो सामान एवं उपकरण लेकर आ रहे हैं। उनको गंतव्य तक पहुंचाने हेतु आवश्यक मद्द करना संवेदनशील/आपदा स्थलों पर वैकल्पिक रास्तों का चिन्हीकरण करना।
- गड्ढ़ों का भराव करना, मलवा सफाई तथा सड़क पर रास्ता अवरूद्ध करने वाले पेड़ो में आवश्यक कटाई करना।
- उपरोक्त कार्यों को सहजता से समपन्न कराने के लिए आवश्यक उपकरण का रख–रखाव तथा मरम्मत करना।

पुनः प्राप्ति गतिविधियॉ

- संरचनाओं का मजबूतीकरण तथा पुनः बहाली तथा जिन कारणों से संरचनाओं में नुकसान पहुंचा है। उनको यथा संभव दूर करना।
- मूल्यांकन तथा किये गये कार्यों का दस्तावेजीकरण करना।
- अनुभवों तथा सीख को अन्य लोगों को बताना।
- कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना।
- सूचीकरण का निर्माण करना तथा आकस्मिक योजना का निर्माण करना।

विद्युत विभाग

निवारक गतिविधियॉ

- आपात अनुक्रिया हेतु आवश्यक संसाधनों का चिन्हीकरण।
- बिजली मिस्त्रियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना तथा यह सुनिश्चित करना कि बिजली उपकरणों के स्थापना में निर्धारित मानको का पालन कड़ाई से किया जाये।
- बिजली सम्बन्धी उपकरणों के स्थापना तथा निरीक्षण हेतु आवश्यक योजना का विकास करना।

- आपात स्थिति में महत्वपूर्ण स्थलों पर त्वरित बिजली प्रदान करने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में बिजली बहाली हेतु आकस्मिक कार्य योजना त्वरित विकसित करना।
- विद्युत तारों के टूटने गिरने की स्थिति में करंट न फैल पाये इस हेतु आवश्यक मानकों को लागू करना तथा समय–समय पर उसका निरीक्षण करना।
- किसी भी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकम्प, बाढ़, चक्रवात के दौरान उच्च क्षमता विवरण के तारों में न्यूनतम नुकसान हो इस हेतु आवश्यक कार्य योजना विकसित करना।
- किसी भी प्राकृतिक/मानव निर्मित/सामान्य स्थिति में बिजली से होने वाले नुकसानों को कम करने हेतु समुदाय को जन–जागरूक करना।

अनुक्रिया गतिविधियॉ

- सूचना मिलने के बाद संभावित प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में बिजली वितरण बन्द करना।
- घटना स्थल का भ्रमण कर नुकसान ऑकलन में आवश्यक सहयोग करना।
- त्वरित विद्युत व्यवस्था प्रदान करने को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्थ सुनिश्चित करना।
- जिले में महत्वपूर्ण स्थलों, साइट ऑपरेशन केन्द्रो, औद्योगिक केन्द्रों में त्वरित बिजली व्यवस्था प्रदान करने हेतु आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- उच्च विद्युत क्षमता के तारो, विघुत उपकेन्द्रों ट्रांसफारर्मस/पोलस इत्यादि महत्वपूर्ण घटकों का निरीक्षण एवं मरम्मत करना।
- किसी भी आपदा/आपात स्थिति में जन सामान्य को विद्युत के कारण नुकसान न हो पाये ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करना।

- आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बिजली बहाली यथाशीघ्र सुनिश्चित करना।
- क्षतिग्रस्त पोल, ट्रांसफारर्मर, कनडकर्टस इत्यादि उपकरणों की मरम्मत एवं बदलाव शीघ्रातिशीघ्र करना।

जल संसाधन विभाग

निवारक गतिविधियॉ

- तैयारी के स्तर का ऑकलन।
- नदी के बहाव के उच्चतम बहाव क्षेत्र का ऑकलन तथा इस विषय में स्थनीय जन समुदाय को जानकारी प्रदान करना।
- बाढ़ संभावित क्षेत्रों, गांवों का चिन्हीकरण तथा बाढ़ निगरानी तंत्र की स्थापना।
- जिले के नदियों, टैंक तथा बांधों के उच्चतम पानी के बिन्दुओं का चिन्हीकरण।
- अनुक्रिया हेतु आवश्यक सामग्री का चिन्हीकरण तथा रख–रखाव।
- पंचात स्तर पर किनारों के टूट के दौरान प्योग किये जाने वाले संसाधनों, बालू के बोरो इत्यादि का संकलन।

अनुक्रिया गतिविधियॉ

- बाढ़ स्थिति की निगरानी।
- बाढ़ सूचना का प्रसारण।
- संचार के आवश्यक नये तकनीकी जी.पी.एफ. इत्यादि का उपयोग करते हुए तहसील वार होने वाले नुकसानों तथा बहाव क्षेत्र सहित सूचना का सम्प्रेषण।
- सिंचाई के संरचनाओं की संरक्षण एवं निगरानी।
- जिले के प्रमुख बांधों, पुलो, चैनल्स तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थलों का निरीक्षण।

- संरचनाओं स्टेशन, उपकरण, पम्प, जनरेटर, मोटर इत्यादि का मरम्मत एवं निरीक्षण।
- बांध टूट स्थल पर रोक हेतु समुदाय से आवश्यक सहयोग प्राप्त करने के लिए सामुदायिक गतिशीलता।
- संरचनओं एवं मानशक्ति का सशक्तीकरण।
- पुनः मूल्यांकन एवं दस्तावेजीकरण।
- सीख तथा अनुभवों का आदान–प्रदान।
- कर्मचारियों का आवश्यक प्रशिक्षण।
- निरीक्षण सूची तथा आकस्मिकता कार्य योजना का निर्माण।

वन विभाग

निवारक गतिविधियॉ

- जिन क्षेत्रों में समुदाय रहता है वहॉ वृक्षारोपण कार्य को प्रोत्साहन।
- कितना जंगल भू–भाग है। जंगल क्षेत्र की भूमि का उपयोग था जंगल फैलाव में कमी की दर इत्यादि विषयों पर जन समुदाय को जानकारी हेतु समय–समय पर सूचना प्रकाशन।
- हाथ तथा मशीन चलित आरी को हमेशा चालू हालत में रखना।
- वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना तथा समय–समय पर जन समुदाय को बीज/पेड़ प्रदत्त करना, किसी भी आपदा के बाद होने वाले क्षति को ध्यान में रखते हुए जन सामान्य को बीज/पेड़ प्रदान करना।

परिवहन विभाग

निवारक गतिविधियॉ

- आपात स्थिति में उपयोग किये जाने वाले वाहनों की सूची बनाना।
- सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना।
- जन–जागरूकता कैम्पों के माध्यम से सुरक्षा तथा यातायात नियमों के विषय में जानकारी प्रदान करना।
- स्कूली बच्चों को यातायात नियमों तथा सुरक्षा के विषय में जानकारी हेतु (सूचना शिक्षा संचार) के माध्यम से शिक्षित करना।
- आपात स्थिति में बेहतर सेवा के लिए वाहनों, ट्रकों इत्यादि वाहनों को प्रदत्त करना।
- खोज, बचाव तथा प्रथम चिकित्सा कार्य में आवश्यक सहयोग प्रदान करना।

पुर्न बहाली गतिविधियॉ

- ग्राम पंचायतों को रिलिफ सामग्री के भण्डर एवं वितरण में आवश्यक सहयोग प्रदान करना।

पंचायती राज्य विभाग

निवाकर गतिविधियॉ

- जोखिम को कम करने के लिये निवारक एवं शमन रणनीति विकसित करना।
- आपदा प्रबन्धन के विभिन्न पहलूओं पर निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण आयोजित करना।
- आपदा प्रबधन के विभिन्न पहलूओं पर जन सामान्य समुदाय को जागरूक करना।
- अवास्तविक अभ्यासों का आयेाजन करना।
- समुदाय आधारित आपदा प्रबधन कार्य योजना को प्रोत्साहित एवं सहयोग प्रदान करना।

- स्थानीय स्तर पर किये जाने वाले अनुक्रिया कार्यो का सशक्तीकरण करना।
- अन्य विभागों को सक्रिया सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करने में आवश्यक सहयोग प्रदान करना।

अनुक्रिया गतिविधियॉ

- समुदाय को सही समय पर सूचना प्रेषण हेतु ग्राम पंचायत सदस्यों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना।
- ग्राम स्तर पर नाली, सड़क तथा अन्य संरचनाओं की साफ–सफाई एवं रख–रखाव।
- ग्राम स्तर पर वैकल्पिक रास्तों का निर्माण करना।
- पंचायतराज नुकसान ऑकलन तथा रहात विवरण में आवश्यक रूप से शामिल रहे।
- आपात राहत एवं आश्रय केन्द्रों का संचालन।
- स्वच्छता, चिकित्सा तथा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना।
- जन समुदाय को जागरूक एवं गतिशील करने के लिए अधिकाधिक आई0ई0सी0 संसाधनों का निर्माण एवं विवरण।
- वृक्षारोपण इत्यादि में स्थानीय स्वयंसेवी संठनों समुदाय आधरित संगठनों, जन समुदाय की भागीदारी को बढ़ाना।
- जंगल की आग की घटना को कम करने के लिए तथा होने वाले नुकसान को कम करने के लिए यथोचित कार्य योजना का निर्माण करना।
- सड़क सफाई, मलवा सफाई में आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
- वृक्ष काटने के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करना।
- अस्थाई आश्रय स्थलों को तैयार करने हेतु उपलब्ध स्थानीय संसाधनों जैसे बॉस इत्यादि की व्यवस्था करना।

पुनः प्राप्ति

- वृक्षो को होने वाले नुकसानों को कम से कम करने के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रमों करे आवश्यक रूप से प्रोत्साहित एवं जारी करना।

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग

निवारक गतिविधियॉ

- जिले के प्रमुख खतरो, आपदाओं के विषय में जन समुदाय को, मीड़िया का उपयोग करते हुए जागरूक करना।
- विभिन्न आपदाओं के दौरान क्या करें तथा क्या न करें के विषय में समुदाय को जानकारी प्रदान करना।
- मीड़िया के साथ निरन्तर समन्वय।

अनुक्रिया गतिविधियॉ

- आपात स्थिति घटना की सही–सही एव पूरी जानकारी समुदाय को प्रदान करने को दृष्टिगत एक नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना।
- निर्धारित समय पर आपदा के विषय में राज्य, समुदाय तथा अन्य अभिकरणों को जनकारी प्रदान करना।
- आपात स्थिति, क्षेत्र होने वाली मृत्यु, प्रभावित जनसंख्या के विषय में जन समुदाय को समय–समय पर जानकारी प्रदान करना।
- आपदा उपरान्त प्रदत्त किये जाने वाले विभिन्न सहायता, धनराशि इत्यादि के विषय में स्थानीय जन समुदाय को समय–समय पर जानकारी प्रदान करना।

राजस्व विभाग

- भारत सरकार तथा अन्य दाता संस्थाओं के साथ समन्वय एवं तालमेल।
- स्थिति पर नियन्त्रण तथा सुपरविजन।
- नुकसान ऑकलन, रिपोर्ट तैयार करना तथा आपदा स्तर की घोषणा करना।
- वित्त की व्यवस्था करनां